कार्यालय नगर निगम रूद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit www.nagarnigamrudrapur.com
दूरभाष– 05944-242400

पत्रांकः–. 4361 /सा0नि0अनु0/2023–24 P.B दिनांक– 26-2-24

सार्वजनिक निविदा सूचना

एतदद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रूद्रपुर कार्यालय परिसर के अन्दर एन0एच0–87 चौडीकरण की जद में आ रहे वृक्षों के पातन हेतु दिनांक 04.03.24 को 12:00PM बजे तक निविदाये आमन्त्रित की जाती है जिन्हे तत्दिनांक को ही 1:00 PM बजे निविदा समिति या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि एवं उपस्थित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। इच्छुक ठेकेदार/फर्म निर्धारित तिथि एवं समय तक अपनी–अपनी सीलबन्द निविदायें कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर में निविदा पेटी में डाल सकते हैं। निविदा प्रपत्र नगर निगम कार्यालय निर्माण अनुभाग से **दिनांक 02.03.24 को प्रातः 10:00 बजे से सायं 3:00 बजे तक** निर्धारित शुल्क जमा कर निविदा क्रय कर सकते हैं। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने की तिथि व समय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। किसी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित है। निविदा की समस्त जानकारी एवं शर्तें नगर निगम रूद्रपुर की वेबसाईट www.nagarnigamrudrapur.com से तथा विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर से प्राप्त की जा सकती है।

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(उदयराज सिंह)
जिलाधिकारी/प्रशासक,
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

पत्रांकः–. /सा0नि0अनु0/नि0सू0/2023–24 दिनांक–

प्रतिलिपिः–_निम्नांनुसार नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधम सिंह नगर।
2. मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।
4. श्री तपन कुमार राय, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नगर निगम रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार निविदा सूचना को नगर निगम की वेबवाईट के माध्यम से प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करें।
5. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र ....शाह टाईम्स.... को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना को अपनी व्यवसायिक दरों में न्यूनतम 30 प्रतिशत छूट देते हुए समाचार पत्र दिनांक 27.02.2024 के अंक में **न्यूनतम पठनीय** रूप में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 02 प्रतियां इस कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(सौरभ कुमार)
प्र0 अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

–: वृक्षों के पातन हेतु निविदा की शर्तें एवं विवरण:–

क्र.सं.	प्रजाति	व्यास श्रेणी	वर्गीकरण	संख्या	मूल्यांकन
01	सागौन हरा	50–60	योग्य	01	52643.00
02		40–50	योग्य	03	92148.00
03		30–40	अयोग्य	03	20953.00
04		40–50	अयोग्य	02	30716.00
05		50–60	अयोग्य	01	26322.00
06		20–30	अयोग्य	02	3738.00
07	सागौन सूखा	40–50	अयोग्य	01	11518.00
08	सेमल हरा	30–40	अयोग्य	01	1206.00
09		70–80	योग्य	01	13260.00
10		9 से ऊपर	योग्य	01	76882.00
11	नीम गिरा	50–600	अयोग्य	01	1684.00
12	अशोक हरा	50–600	अयोग्य	01	1684.00
13		20–30	अयोग्य	01	361.00
14	आम हरा	40–50	अयोग्य	02	2034.00
15	सीरस हरा	50–60	अयोग्य	01	1684.00
16	पीपल मलमरी	30–40	अयोग्य	01	1224.00
17	अमलतास	20–30	अयोग्य	01	541.00
			योग	**24 वृक्ष**	**338598.00**

1. सीलबन्द निविदायें नगर निगम रूद्रपुर मे रखी निविदा पेटी में व्यक्तिगत रूप से दिनांक 04-03-2024 को ~~सायं~~ दोपहर 12:00 बजे तक जमा की जा सकती है। तथा तद्दिनांक को ही 1:00 P.M. ~~को अपरान्ह~~ .... बजे निविदा समिति द्वारा नगर निगम सभागार में खोली जायेंगी। इच्छुक निविदादाता स्वयं अथवा उसका एक अधिकृत प्रतिनिधि निविदा खुलने के समय उपस्थित हो सकते हैं।
2. निविदा प्रपत्र नगर निगम रूद्रपुर से दिनांक 02-03-24 को 10 बजे से सायं 3: बजे तक निधारित शुल्क रू० 1000.00 (GST@18%) 1180.00 जमा कर प्राप्त किये जा सकते है।
3. निविदादाता को निविदा के साथ रु0 35000.00 धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 जो कि नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर के पदनाम से बन्धक हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. निविदा की धनराशि मूल्यांकित धनराशि रु0 338598.00 से कम स्वीकार नहीं की जायेगी।
5. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न कर निविदा जमा करना आवश्यक है।
6. निविदा प्रपत्र निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर प्रस्तुत करना पूर्णतया निविदादाता का दायित्व होगा।
7. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर तत्काल रू0 100.00 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर नगर निगम रूद्रपुर के साथ लिखित अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा।
8. स्वीकृत निविदा दरों की पूर्ण धनराशि 03 दिवस के भीतर नगर निगम रूद्रपुर में जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा वृक्षों के पातन की अनुमति नहीं दी जायेगी।
9. निविदादाता पातन हेतु वृक्षों का निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व भली–भाँति निरीक्षण कर सकता है। निविदा स्वीकृत हो जाने के उपरान्त किसी भी प्रकार का दोष पाये जाने की कोई शिकायत मान्य नहीं होगी।

(क्रमशः पृष्ठ संख्या 02 पर)

10. सफल निविदादाता को वृक्षों का कटान आवश्यकतानुसार लौपिंग आदि इस तरह से करना होगा कि समीपस्थ बिजली लाईन, टेलीफोन लाईन या भवन आदि को क्षति ना हो तथा काटे जा रहे वृक्षों से मार्ग पर चलने वाले वाहनों एवं राहगीरों आदि की सुरक्षा हेतु आवश्यकतानुसार लाल झण्डी का प्रयोग स्वयं करना होगा। यदि वृक्षों के कटान से किसी व्यक्ति अथवा सम्पति को कोई क्षति होगी तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित निविदादाता का होगा एवं उसके द्वारा ही सम्बन्धित व्यक्ति अथवा सम्पत्ति की क्षतिपूर्ति का अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा।
11. काटे गये वृक्षों के विक्रय मूल्य पर निर्धारित व्यापार कर, आयकर, स्टाम्प शुल्क, मण्डी शुल्क एवं जी०एस०टी० इत्यादि निविदादाता को स्वयं अलग से सम्बन्धित विभागों में पूर्ण दर पर जमा करना होगा, तथा उक्त जमा शुल्क के चालान/रसीद नगर निगम रूद्रपुर कार्यालय में मूल रूप से जमा करनी होगी। यदि निविदादाता के द्वारा उक्त शुल्कों को कम या अधिक जमा किया जाता है अथवा विलम्ब से जमा किया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा तथा उक्त शुल्कों के जमा होने के पश्चात् माल निकासी की अनुमति दी जायेगी।
12. काटे गये वृक्षों की निकासी से पूर्व निविदादाता को प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, रूद्रपुर से निकासी परमिट स्वयं लेना होगा तथा ट्रांजिट शुल्क या अन्य कोई देय शुल्क आदि की धनराशि निविदादाता को स्वयं जमा करनी होगी।
13. किसी भी निविदा अथवा सभी निविदाओ को बिना कारण बताये अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर में निहित है।
14. सफल निविदादाता द्वारा उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का पालन न करने की दशा में काटे गये वृक्षों की बिक्री रद्द की जा सकती है, तथा धरोहर राशि/क्रय हेतु जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
15. इस विक्रय के सम्बन्ध में किसी भी विवाद पर निर्णय के लिए जिलाधिकारी/प्रशासक नगर निगम रूद्रपुर आर्विट्रेटर होंगे और उनका निर्णय अन्तिम होगा, जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
16. निविदा स्वीकृति पत्र निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर काटे गये वृक्षों की निकासी करना आवश्यक होगा अन्यथा रू0 100 प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क का भुगतान करना होगा। विलम्ब शुल्क (एक माह तक) के पश्चात् निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त किये जाने का अधिकार नगर निगम रूद्रपुर को होगा।
17. निविदादाता के किसी भी कर्मचारी को परिसर/फार्म मे अवांछित गतिविधि में संलिप्त होने के संशय पर परिसर में प्रवेश निषिद्ध कर दिया जायेगा।

(गजेन्द्र पाल)	**(सौरभ कुमार)**	**(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)**	**(उदयराज सिंह)**
सहायक अभियन्ता	**प्र0 अधिशासी अभियन्ता**	**नगर आयुक्त**	**जिलाधिकारी/प्रशासक,**
नगर निगम रूद्रपुर	**नगर निगम रूद्रपुर**	**नगर निगम रूद्रपुर**	**नगर निगम, रूद्रपुर**
ऊधमसिंह नगर।	**ऊधमसिंह नगर।**	**ऊधमसिंह नगर।**	**ऊधमसिंह नगर।**